न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 297 / 2022

संकित पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं, पिन कोड 333001, मो0न0 9413076120

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 15.09.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.08.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 297 / 2022 पर दिनांक 31.08.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 4610 –11 दिनांक 31.08.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 1166 दिनांक 07.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकित पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 29.07.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4) (5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 314 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा तहसीलदार नवलगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 22 / 1166 दिनांक 07.09.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संकित पुत्र बाबूलाल, नियर गायत्री मन्दिर, वार्ड नं0 19, स्टेशन रोड, झुंझुनूं का आवेदन आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 29.07.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5) न्याय / सू0अ0 / 09 / 314 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा तहसीलदार नवलगढ को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे प्राप्त नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार नवलगढ अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना उसे 7 दिन मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि [illegible] कर सकता है।

आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को खुले [illegible]लय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:47 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं